सदन की अभिलिखित कार्यवाही का कैसेट/डीस्क की आपूर्ति
<u>के लिए दिशा-निदेश</u>

1. निजी टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट एजेंसी विधान सभा सचिवालय की पूर्वानुमति से पूर्व प्रसारित कार्यवाही का अभिलिखित फूटेज का उपयोग कर सकेंगे । आशायीत एजेंसी निम्नलिखित कागजातों के साथ बिहार विधान सभा के श्रव्य एवं दृश्य-इकाई से सम्पर्क कर सकेंगे :-
   (i) अपने लेटर पैड पर फूटेज के उपयोग को दर्शाते हुए अनुरोध पत्र,
   (ii) अगर फूटेज की आवश्कता किसी फिल्म/कार्यक्रम के उपयोग के लिए है तो उस फिल्म/कार्यक्रम के स्क्रीप्ट की प्रति,
   (iii) अलग से उपलब्ध कराये गए प्रारूप में एक अंडरटेकिंग ।
2. सभा सचिवालय का यह हर संभव प्रयास होगा कि वैसे अनुरोध पर तीन कार्य दिवसों के अंदर निर्णय लेकर सूचना आवेदनकर्त्ता एजेंसी को दे दी जाय ।
3. सभा सचिवालय का श्रव्य-दृश्य इकाई निम्नलिखित महानुभावों/सदस्यों/व्यक्तियों/एजेंसीज को सदन की कार्यवाही के श्रव्य-दृश्य अभिलेखन / फूटेज/अंश को कैसेट्स/डीस्क में आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा :-

   (i) <u>मानार्थ आधार पर:-</u>

   (क) महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण, वित्त मंत्री के बजट उपस्थापन, महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बहस पर सरकार की ओर से सदन नेता द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में भाषण का कैसेट/डीस्क मानार्थ आधार पर महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को उनके संदर्भ एवं उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे ।

   (ख) विधान सभा की अन्य कार्यवाही का कैसेटस/डीस्क मानार्थ आधार पर अन्य महानुभावों/अधिकारियों/सरकारी एजेंसीज को उनके विशेष लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से उपलब्ध कराए जाएंगे ।

   (ii) **<u>भुगतान के आधार पर:-</u>**

   बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान के आधार पर सभा की कार्यवाही या उसका अंश/फूटेज का कैसेट्स/डीस्क निजी या अन्य एजेंसी या निम्नलिखित व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जायेंगे :-

   (क) विधान मण्डल के सदस्यगण,

   (ख) विधान मण्डल के प्रेस दीर्घा के लिए मान्यता प्राप्त प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के संवाददाता,

(ग) मंत्रिमंडल और बिहार सरकार के विभिन्न विभाग/ भारत सरकार के विभाग और उसके मंत्रिगण/ अन्य राज्य सरकार / लोकसभा / राज्यसभा / अन्य राज्य विधान मंडल/ स्थानीय निर्वाचित निकाय,

(घ) प्रेस सूचना परिषद् (पी. आई. बी.) से मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसीज,

(ड़) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, शिक्षक और शोधकार्त्ता,

(च) सदन में प्रवेश पाए राजनीतिक दल और

(छ) बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्णित अन्य व्यक्ति ।

4. बिहार विधान मंडल के सदस्यों और अन्य के द्वारा सदन की कार्यवाही का श्रव्य दृश्य अभिलेख/फूटेज का प्रयोग सामान्यतया अपने व्यक्तिगत उपयोग/संदर्भ के लिए किया जायेगा । अगर उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य यथा किसी फिल्म/कार्यक्रम के निर्माण में किया जाना है तो उसे पूर्वानुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्त्तों के अध्यधीन किया जा सकेगा :–

(क) सभा की कार्यवाही को स्वच्छ एवं सही ढंग से प्रतिवेदित की जाएगी ।

(ख) अभिलेखन का उपयोग व्यंग्य/उपहास के लिए नहीं की जाएगी ।

(ग) अभिलेखन का उपयोग किसी राजनीतिक दल के विज्ञापन, चुनाव अभियान या व्यापारिक विज्ञापन में नहीं की जाएगी ।

(घ) अभिलेख/फूटेज को प्रयोगकर्त्ता किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/चैनल को आपूर्ति नहीं करेगा।

5. उपर्युक्त शर्त्तें छोटे अक्षरों में कैसेट/डीस्क पर या उसके पैकेट/बॉक्स पर ही मुद्रित कर दी जाएगी ।

6. दूरदर्शन/आकाशवाणी या अन्य निजी चैनल/समाचार प्रसारण एजेंसीज जो कार्यवाही के लाईव सिग्नल या अभिलिखित कार्यवाही का अंश/फूटेज का उपयोग कर कर रहे हों, अपने प्रसारित प्रतिरूप का कैसेट/डीस्क प्रसारण की तिथि से 60 दिनों की अवधि तक किसी विवाद की स्थिति में सत्यापन और उचित कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखेगी ।

7. उपर्युक्त शर्त्तों का उल्लंघन करने वाले दूरदर्शन/आकाशवाणी सहित अन्य चैनल/व्यक्ति/एजेंसी के विरूद्ध सदन के विशेषाधिकार हनन के साथ–साथ अन्य विधिक कार्रवाई की जा सकेगी ।

वचनबद्धता का पत्र

बिहार विधान सभा की कार्यवाही के अभिलिखित अंश/फूटेज के लिए आवेदन करते हुए अपने चैनल/एजेंसीज की ओर से मैं/हम वचन देता हूँ/ देती हूँ/देते हैं कि :-

1. बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित दर पर अग्रिम रूप से विधान सभा सचिवालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पक्ष में जारी चेक/डीमांड ड्राफ्ट से कर दी जायेगी,

2. मैं/हम बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित निम्नलिखित निबंधन एवं शर्त्तों का पालन करूँगा / करूँगी / करेंगें ;
   - (क) बिहार विधान सभा की सदन की कार्यवाही का उपयोग/पुनर्प्रसारण स्वच्छ ढ़ंग से किया जायेगा और उसका प्रतिवेदन सही-सही होगा ।
   - (ख) अभिलेख का उपयोग व्यंग्य या उपहास के लिए नहीं किया जायेगा ।
   - (ग) अभिलेखन का उपयोग किसी राजनीतिक दल के विज्ञापन, चुनाव अभियान या व्यापारिक विज्ञापन के लिए नहीं किया जायेगा ।
   - (घ) अभिलेखन/फूटेज को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/चैनल/पक्षकार को नहीं दिया जायेगा ।

3. मैं/हम कार्यक्रम के प्रसारित स्वरूप का कैसेट/डीस्क प्रसारण की तिथि से 60 दिनों की अवधि तक सुरक्षित रखूँगा / रखूँगी / रखेंगें और सभा सचिवालय द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराउंगा / कराउंगी / करायेंगें ।

4 मेरे/हमारे द्वारा सदन की कार्यवाही के फूटेज का उपयोग कर तैयार किसी फिल्म/कार्यक्रम के प्रसारण से व्यथित किसी व्यक्ति की शिकायत के मामला में मैं/हम विधान सभा सचिवालय द्वारा दिया गया निर्णय का पालन करूँगा / करूँगी / करेंगें, जो अंतिम और मेरे/हमारे उपर बाध्यकारी
होगा ।

स्थान :- हस्ताक्षर

मुहर

तिथि :-